‘आप कहेंगे, तो भी आपका बायोमैट्रिक डेटा किसी को नहीं देंगे’

मुंबई : वर्तमान व्यवस्था का फर्जीवाड़ा दूर करने वाले आधार की उपयोगिता और विरोध को लेकर बहस तेज है। सरकार कानून बनाकर इसे पहले ही संरक्षण दे चुकी है, अब सुरक्षा, निजता की चिंता दूर की जा रही है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है आईआईटी कानपुर से पढ़े 1984 बैच के आईएएस अधिकारी अजय भूषण पांडेय पर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे अजय भूषण पांडेय ने सुधा श्रीमाली और विजय पांडे से विशेष बातचीत में आधार को सुरक्षित देश की ओर बढ़ता कदम बताया। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंशः

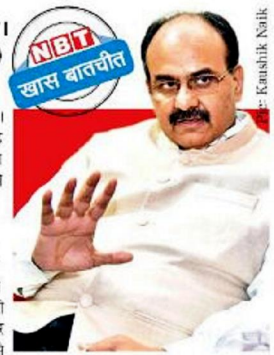

Photo: Kaushik Naik

आधार के साथ ही सुरक्षा और निजता की चिंता सताने लगती है। आप इन्हें किस रूप में देखते हैं?

हमने आधार की शुरुआत 2010 से की, अब तक करीब 119 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। सुरक्षा और निजता यह दोनों मुद्दे हमारे लिए भी सबसे अहम हैं। हम लोगों के डेटा के संरक्षक हैं, उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लोगों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि किसी दूसरी एजेंसी को उसे देना भी है तो हम संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना उसे नहीं देते। उदाहरण के तौर पर आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, वहां आप अंगूठा लगाकर अपनी अनुमति देते हैं। तब हम डेटा देते हैं। वह भी कौन-सा डेटा....। हम केवल नाम, पता, जन्मतिथि, फोटोग्राफ जैसी बुनियादी जानकारी बैंक को देते हैं। जिसे केवाईसी कहते हैं। आपकी बायोमैट्रिक जानकारी हम किसी को नहीं देते हैं। आप यदि कह दें तो भी हम आपकी बायोमैट्रिक जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करते।

निजता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है?

आपका जो डेटा आपने जहां इस्तेमाल किया वह डेटा वहीं पर है। जैसे आपने बैंक में आधार दिया तो बैंक में आपके कितना पैसा है, यह आधार वालों को नहीं पता है। आपने जाकर सिम कार्ड लिया तो आपने कौन-सा सिम कार्ड लिया यह हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए अलग-अलग एजेंसी के पास उनका डोमेन विशेष डेटा है। इसलिए यह कहना कि केवल एक एजेंसी के पास सब डेटा जा रहा है तो यह नासमझी होगी।

आप टेक्नोक्रेट हैं। क्या आधार का डेटा विश्व के सबसे सुरक्षित सिस्टम में है?

विश्व का सबसे सुरक्षित बताना तो तुलनात्मक बात है। हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन यह जरूर है कि जितना सुरक्षित होना चाहिए, उतना है। 7 साल से एक भी सूचना चोरी होने का मामला नहीं हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं। हैकर्स की भी टेक्नोलजी बदल रही है। इसलिए हम अधिक चौकन्ने हैं।

आधार नंबर से सभी जानकारी लीक होने की चर्चाओं से भी लोग परेशान हैं?

यह भी गलत है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके चेक पर रहता है लेकिन कोई उसे जानकर भी पैसे नहीं निकाल सकता। यदि आपका आधार नंबर पता भी चल जाए तो उसके नुकसान नहीं होगा क्योंकि आधार का उपयोग बायोमैट्रिक के साथ ही होता है।

आधार को बैंक अकाउंट, सिम कार्ड से जोड़ जाने का विरोध भी हो रहा है, ऐसा क्यों?

यह समझ नहीं आता कि कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जब आधार को आप अपने बैंक अकाउंट से जोड़ते हैं तो यह आपके ही हित में है। प्रायः आप अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई किसी के बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर उसे निकाल भाग गया। जब आप शिकायत करते हैं तो पता चलता है कि जिसके अकाउंट में पैसे गए वह खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। अब सरकार हर बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने को कह रही है। यदि कोई गलत तरीके से दूसरे अकाउंट में पैसे लेता है तो आधार से अकाउंट जुड़े होने पर वह पकड़ा जाएगा। अब फ्रॉड करने वाले भी डरेंगे, इससे पूरी बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी। इससे टैक्स चोरी, फर्जीवाड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसी तरह से मोबाइल सिम का भी मामला है। फर्जी सिम जारी से क्राइम, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। आपने वोटर आईडी देकर कार्ड ले लिया। इस कॉपी पर 10 सिम कार्ड जारी हो सकता है। जिससे कोई गलत काम होने पर आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यदि सिम कार्ड आधार से जुड़ गया तो गलत उपयोग नहीं होगा। आधार से जुड़कर हम सुरक्षित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

क्या ऐसा समय आएगा कि आपके पास आधार होगा और आपको दूसरे किसी कागजात की जरूरत नहीं होगी?

नहीं, सभी कागजात के अपने महत्व है। आपको गाड़ी चलाना है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। हां यह होगा कि इन महत्वपूर्ण कागजात को हासिल करने के लिए आधार की जरूरत हो। जिसके कोई फर्जी नाम पर लाइसेंस न बनवा ले। इसलिए यह सभी चीजों का आधार बनेगा, उसका पर्याय नहीं होगा।

वयस्कों का तो बड़ी संख्या में आधार बन चुका है लेकिन बच्चों की संख्या कम है....

बच्चों का आधार बनाना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा प्लान है कि बच्चे जहां जन्म लें वहां आधार बन जाएं, छूट गए तो आंगनवाड़ी में बन जाएं। वहां छूट गए तो स्कूल में बन जाए। हमने यह भी देखा है कि बड़े स्कूलों में बड़े फर्जीवाड़े होते हैं। इसलिए इसे आधार से जोड़ा जा रहा है। जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और वह पैसे जरूरतमंदों के काम में लगाए जा सकेंगे।

जिनके पास आधार नहीं हो उनका क्या....?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनको भी फायदा मिलेगा। जिनके पास आधार है वह दे दें, जिनके पास नहीं है उनका हम आधार बनवा देंगे। जब तक आधार नहीं मिलता है तब तक सुविधा जारी रहेगी। लेकिन यदि कोई कहे कि मेरे पास आधार नहीं है और मैं बनवाऊंगा भी नहीं और मुझे सुविधा मिलती रहे, तो कानून इसकी अनुमति नहीं देता।

आधार के प्राइवेट सेंटर बंद कर दिए हैं। लोगों को अपडेशन में दिक्कत हो रही है?

आधार सेंटर बैंक, पोस्ट ऑफिस में करीब 30,000 केंद्र खोले जा रहे हैं। हम लोगों को नया आधार बनवाने या उसमें बदलाव में कोई असुविधा न हो इसका ध्यान रख रहे है। हमने ऑनलाइन केवल पता बदलने की छूट दी है।

कुछ लोग इससे बाहर जाना चाहते हैं तो?

मौजूदा कानून में आधार से बाहर जाने का कोई प्रावधान नहीं है।